

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
निर्णय दिनांक :- 10/11/22

मिशल संख्या:- 789/22

उनवानी प्रार्थना पत्र :

श्री राजलाल बनाम तहसीलदार.....

उपस्थिति :-

तहसीलदार.....

प्राप्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

::: आदेश :::

प्रार्थी श्री राजलाल निवासी झाकड़ा ने प्रशासन गांवो

के संघ 2021 कैम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम झाकड़ा

जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या 218, 220 में दर्ज प्रार्थी का नाम श्री राजलाल

पुत्री राजलाल के स्थान पर श्री राजलाल पुत्री राजलाल

दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली

पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार श्री राजलाल से

कराई गई। तहसीलदार श्री राजलाल ने पटवार हल्का झाकड़ा व भू0अ0नि0 मानेद की

रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली

गई। तहसीलदार श्री राजलाल से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का

स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:-

4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार श्री राजलाल को वाके ग्राम झाकड़ा जमाबंदी

सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या 218, 220 में दर्ज श्री राजलाल पुत्री राजलाल

के स्थान पर श्री राजलाल पुत्री राजलाल

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति

तहसीलदार श्री राजलाल को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

दाखिल करार हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प झाकड़ा में सुनाया गया।

श्री राजलाल
उपखण्ड अधिकारी
देवली